Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

साम्प्रदायिकता की संवैधानिक कठिनाई को हल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट : एक अध्ययन

Manjeet Singh*

M.Phil. in History (UGC NET)

शोध आलेख:- *नेहरू रिपोर्ट भारत के इतिहास में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। इसके कारण का उल्लेख करते हुए लार्ड वर्केनहेड ने हाऊस ऑफ़ लार्ड में भाषण देते हुए कहा कि उनके पारस्परिक मतभेज के कारण ही किसी भारतीयों को कमीषन में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजों का माना था कि भारत में अनेक राजनीतिक दल और समूह विद्यामान हैं और भारत के लोग इतने विशाल देश के शासन को चलाने के लिए ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जो सभी राजनीतिक दलों एवं उल्पसंख्यकों को स्वीकार हो। उसने अपने भाषण में भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय एक ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करे जो सभी को मान्य हो और सर्वसम्मति से तैयार किया गया हो। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भारत के लिए नीवन संविधान बनाने के लिए 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसके विषय में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी कहा था कि- "कांग्रेस ने यह प्रयास अंगेजों की चुनौती का सामना करने के लिए ही नहीं किया बल्कि अन्य दलों की सहायता से नया संविधान तैयार क रवह अपने देशवासियों के सम्मुख अपने विचार और मांगे भी रखना चाहती थी। उनका विचार था कि ब्रिटिश सरकार ऐसे संविधान को आसानी से स्वीकार कर लेगी।*

मुख्य शब्द:- *विदेश नीति, राजनय, गुटनिरपेक्षता, कश्मीर समस्या, डोकलाम विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, परमाणु परीक्षण।*

----------X----------

शोध प्रविधि:-

इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए आंकड़े/तथ्य द्वितीयक स्त्रोतों से जुटाए गए हैं। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तर्क प्रस्तुत किए हैं जो शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा ज्ञान से प्राप्त किए है। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

सर्वदलीय सम्मेलन में 20 दलों ने भाग लिया। कुछ प्रारंभिक मौलिक अधिकारों के विषय पर चर्चा करने के पश्चात् इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया। 15 मई को डॉ. अंसारी के नेतृत्व में फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गइ। सर तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्री एम.एस. अणे, सरदार मंगरू सिंह, श्री श्वैंब कुरेशी, श्री जी. आर. प्रधान और सुभाषचन्द्र बोस को इस संविधान प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस समिति ने तीन महीनों में 25 बैठकों की और पूरी मेहन्त से संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसे नहेरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रिटिश संसद में प्रस्तु किया गया।

नेहरू रिपोर्ट की सिफारशें

नेहरू रिपोर्ट की मुख्य शर्ते इस प्रकार थीं-

1. भारत को आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, न्यूजीलैण्ड आदि देशो की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाये।
2. भारत में लोकप्रिय मन्त्रियों के परामर्श पर और सवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिये।
3. प्रान्तों में भी केन्द्र की तरह उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए।

www.ignited.in

4. मंत्रीमण्डल को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है।

5. केन्द्रीय कार्यपालिका में गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री और छः मन्त्री होंगे। प्रधान की नियुक्ति गर्वनर जनरल से द्वारा की जायेगी और शेष मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल के द्वारा की जायेगी। सभी मन्त्री सामूहिक तौर पर केन्द्रीय संसद के प्रति उत्तरदायी होगें।

6. केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदन-सीनेट एवं हाऊस ऑफ़ रिपे्रजैण्टेटिवज होंगे। सीमेंट में 200 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन प्रानतीय कौंसिलों द्वारा एकल सक्रमणीय वोट तथा आनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया जाये। इसमें प्रत्येक प्रान्त को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

हाऊस ऑफ़रिपे्रजैण्टेटिव में 500 सदस्य होंगे जिनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जायेगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसे शान्ति एवं सुरक्षा हेतु एक प्रशासन को भली-भांति चलाने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा।

7. केन्द्र एवं प्रान्त के बीच शक्तियों का वितरण संघत्मक योजना के आधार पर होगा जिसमें अवशिष्ट शक्तियों केन्द्र के पास होगी ताकि केन्द्र शक्तिशाली बना रहे।

8. प्रान्तीय कार्यकारिणी में गवर्नर एवं पांच मन्त्री हों। मुख्यमंत्री की नियुक्त गवर्नर के द्वारा होगी एवं अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर करेगा। सभी मन्त्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

9. पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को अन्य प्रान्तों को भांति दर्जा मिलेगा। सिन्ध को बम्बई से अलग कर नया प्रान्त बना दिया जाये।

10. प्रान्तों में एक सदन विधान मण्डल की स्थापना हो जिसके सदस्य व्यस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा चुना जाये। विधानमण्डल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

11. साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का अन्त कर दिया जाये और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की जाये।

12. अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें सुरक्षित रखी जायें।

13. इस संविधान में 19 मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। परन्तु इसमें कत्तव्यों कों कोई स्थान नहीं दिया गया।

14. अल्पसंख्यक वर्गो को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हें धार्मिक, भाषायी एवं संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान पर दी गई।

15. सेना पर नियन्त्रण रखने के लिए एक रक्षा समिति गठित की जाये जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, विदेश मन्त्री, सेना के विभागों के अध्यक्ष और कुछ विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

16. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशी रियासतों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की व्यवस्था की जाये। परन्तु उन्हें भारतीय संघ में तभी शामिल किया जायेगा जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जायेगी।

नेहरू रिपोर्ट का मूल्यांकनः-

नेहरू रिपोर्ट के विषय में राजनीतिक दलों ने भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ दीं। कांगेस के युवा नेताओं जैसे जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस ने इस रिपोर्ट को पूर्ण स्वतन्त्रता के अधार पर ही स्वीकार करने को कहा। परन्तु पंडित मोतीलाल नेहरू आदि पुराने कांगे्रसी इसे तुरन्त ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। परन्तु गांधी जी के हस्तक्षेप से कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच समझौता हो गया और नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। कलकत्ता अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि- "नेहरू रिपोर्ट में शासन किवधान की जो योजना प्रस्तुत की गई है, उस पर विचार करने के पश्चात् कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसकों भारत की राजनीतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं का समाधान तथा निराकरण करने में बहुत अधिक सहायता देने वाली समझती है और अपनी समस्त् सिफारिशों को सर्वसम्मति से पास करने के लिए कमेटी को बधाई देती है।" सिक्खों, हरिजनों, अछूतों, गैर-ब्राह्मणों आदि जातियों एवं वर्गों ने भी नेहरू रिपोर्ट को कोई महत्त्व नहीं दिया। इन्होंने इसे पूरी तरह नकार दिया।

मुहम्मद अली जिन्नाह ने इस रिपोर्ट की आलोचना की। जिन्नाह ने इसे स्वीकार कने से पूर्व अपना चैदह सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य शर्ते इस प्रकार थीं-

www.ignited.in

1. संविधान का स्वरूप संघात्मक होना चाहिये जिसमें अवशिष्ट शक्ति प्रान्तों के पास हो।

2. सभी प्रान्तों को समान स्वायत्ता प्राप्त हो।

3. सभी व्यवस्थापिका सभाओं एवं निर्वाचक संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों की पर्याप्त तथा प्रभावूपर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना चाहिये।

4. केन्द्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों को कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधत्व दिया जाये।

5. अल्पसंख्यकों के लिए पृथक चुनाव मण्डल की व्यवस्था हो।

6. किसी भी तरह का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तों में मुसलमानों के बहुमत में कोई परिवर्तन न लाया जाये।

7. सभी धर्मों के लोगों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की स्वतन्त्रता मिले।

8. किसी भी सम्प्रदाय के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विरोध करने पर कोई भी प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय द्वारा पारित नहीं किया जाये।

9. सिन्ध को बम्बई प्रान्त के अलग किया जाये।

10. सीमान्त प्रदेश एवं बलूचिस्तान में अन्य प्रान्तों की तरह सुधार लाया जाये।

11. सभी प्रकार की सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त स्थान दिया जाये।

12. मुसलमानों की संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कानूनों की सुरक्षा एवं उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए।

13. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई सींटे रिजर्व की जावें।

14. संविधान में संशोधन के लिए संघ के एकक प्रान्तों की स्वीकृति आवश्यक कर दी जाये। परन्तु जिन्नाह का चैदह सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध बना रहा।

निष्कर्ष-

भले ही नेहरू रिपोर्ट का कुछ दलों ने विरोध किया परन्तु गौर से देख जाये तो यह रिपोर्ट बहुत महत्त्वर्पूण थी। इसमें देश की प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया गया था। इसे बनाते समय सभी नेताओं ने अपनी योग्यता एवं राजनीतिक परिपक्वता का पूरा परिचय दिया। इसकी अनेक विशेषताओं को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के सवंधिान में भी जगह प्रदान की गई। डॉ. जकारिया ने लिखा है कि-''नेहरू रिपोर्ट का विस्तार कर पूण्र पढ़ा जाना जावश्यक है क्योंकि वह प्रत्येक विषय पर जिसका उसमें उल्लेख किया गया है, पूर्ण प्रकाश डालती है और सामान्य व्यवहारिक बुद्धि से जो न आपने को सैद्धान्तिक कल्पनाओं में खोती है और न निरर्थक बातों का आश्रय लेती है, परिपूर्ण है।''

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/poona-pact-338403-2016-09-24

2. http://m.lokmat.com/gadchiroli/it-was-dabkare-who-had-done-punes-contract-babasaheb/

3. रमेशचन्द्र दत्त: इंडिया इन दि विक्टोरियस ए (कीमन पाल, लंदन), पृ. 456-457.

4. रमेश चन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ. 4

5. जोगेशचन्द्र बागल: हिस्ट्री ऑफ़ दी इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता, पृ. 212

6. रमेश चन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ. 13

7. रमेशचन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ. 25

8. पट्टाभी सीतारमैया: दि हिस्ट्री ऑफ़ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाग 1 (पद्मा पब्लिकेशन, बम्बई, 1946), पृ. 41

9. वही, पृ. 40

www.ignited.in

10. रमेशचन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ. 47

11. आई.बी. रिकाईस, एल नं. 476/193, पृ. 1-12 हरिदास मुखर्जी और उमा मुखर्जी, ए ऑफ़ दि स्वदेशी मूवमेंट, पृ. 236

12. मजूमदार और मजूमदार: कांग्रेस एण्ड कांग्रेसमैन इन दि प्री-गांधीयन हरा: 1885-1917 (फॉर्म के एल मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1967), पृ. 59

Corresponding Author

Manjeet Singh*

M.Phil. in History (UGC NET)

manjeetmehra20@gmail.com